

पत्रांक-श्रम क०सं०-19/2025 (अंश)-3०5

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन), 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 03 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 6,00,000/- (छः लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 6,00,000/- (छः लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० शोना देवी, 27, छोदू कुमार, अनुसूचित जाति वर्ग	छोदू कुमार (पति)	863 24.02.2026 एवं 144 16.01.2026	ग्राम-चिलबिल्ली, प०-चिलबिल्ली, पो०-निसरपुरा, थाना-बेंसर, जिला-पटना 8401513996	52010 11977 72648	UNION BANK UBIN09 18687	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु (बिजली करंट लगने से) घरेलू कामगार
2	स्व० मुट्टू कुमार, 27, आनंद विंद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनिशा कुमारी (पत्नी)	863 24.02.2026 एवं 247 19.01.2026	ग्राम-बेलदारीघक, प०-मोरियावा, पो०-हजरत साई, थाना-घनरूआ, जिला-पटना 7385369598	15250 00100 15030 9	PNB PUNB0 152500	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु (वाहन टक्कर के कारण) राजमिस्त्री का हेल्पर
3	स्व० अमन कुमार, 20, लालबाबु दास, अनुसूचित जाति	फुलमती देवी (माता)	864 24.02.2026 एवं 2810 20.06.2025	ग्राम+प०-जुटुली, पो०-कच्ची दरगाह, थाना+प्र०-फतुहां, जिला-पटना 6206095680	38408 10000 3557	BOB BARBOF ATWAH	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु कृषक मजदूरी

कुल राशि :-रू० 6,00,000/-

(छः लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक


ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-19/2025(अंश)-3०5 पटना, दिनांक :- 13/03/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम

संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 6,00,000/- (छः लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पटना / उप श्रमायुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


Signed by Rohit Kumar
Date: 09-03-2026 17:55:05

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



Signed by Rajesh Bharti
Date: 12-03-2026 15:42:39

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक